

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 1139 सन 2021

अनवान :-

1. रजनी 2. राजेश 3. विकाश पि0 कृष्ण जाति धानक नाबालिग जरिये कुदरती बली माता पूजा उर्फ गीतारानी पत्नी कृष्ण जाति धानक निवासी गिराजसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. कृष्ण पुत्र खेताराम जाति धानक निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
2. गुडडी पत्नी खेताराम जाति धानक निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
3. सुमित्रा पुत्री खेताराम जाति धानक निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
4. विमला पुत्री खेताराम जाति धानक निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
5. शिला पुत्री खेताराम जाति धानक निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
6. इन्द्राज पुत्री आसी जाति धानक निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
7. रामकुमार पुत्र आसी पुत्री हीराराम जाति धानक निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
8. मोहरा पुत्री आसी पुत्री हीराराम जाति धानक निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
9. बिदामी पुत्री आसी पुत्री हीराराम जाति धानक निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
10. मोहरसिंह पुत्र भूरीदेवी पुत्री हीराराम जाति धानक निवासी गिराजसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. भूप पुत्र भूरीदेवी पुत्री हीराराम जाति धानक निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
12. मेवा पत्नी बुधराम पुत्र भूरी पुत्री हीराराम जाति धानक निवासी गिराजसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
13. सतपाल पुत्र बुधराम पुत्र भूरी पुत्री हीराराम जाति धानक निवासी गिराजसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
14. जयवीर पुत्र बुधराम पुत्र भूरी पुत्री हीराराम जाति धानक निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
15. बृजलाल पुत्र निकोदेवी पुत्री हीराराम जाति धानक निवासी गिराजसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
16. मंगतु पुत्र निको देवी पुत्री हीराराम जाति धानक निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
17. पप्पू पुत्र निको देवी पुत्री हीराराम जाति धानक निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
18. सबरती पुत्री निकोदेवी पुत्री हीराराम जाति धानक निवासी गिराजसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिथत : श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 07/02/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 70/70 की कुल 14.9710 हैव भूमि मृतक भूरी निको, आसी पुत्रीया हीराराम , गुडडी पत्नी खेताराम, सुमित्रा विमला सिला पुत्री खेताराम भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज हीराराम के नाम से दर्ज थी हीराराम के पुत्र खेताराम पुत्र हीराराम के देहान्त होने पर वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 एवं निको, आसी , भूरी के नाम से दर्ज हुई जो वर्तमान में राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।

वादी की भूआ निको , आसी भूरी का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 6 ता 18 है जो निको आसी भूरी के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 वादी की बुआ एवं माता है प्रतिवादी संख्या 6 ता 18 वादी की दादी निको , आसी , भूरी के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 2 ता 18 ने अपने हक हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी

की भूमि का त्याग वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकवाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 ने निवेदन किया की उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज हीराराम के नाम से दर्ज थी हीराराम के पुत्र खेताराम पुत्र हीराराम के देहान्त होने पर वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 एवं निको, आसी, भूरी के नाम से दर्ज हुई जो वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी की भूआ निको, आसी भूरी का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 6 ता 18 है जो निको आसी भूरी के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 वादी की बुआ एवं माता है प्रतिवादी संख्या 6 ता 18 वादी की दादी निको, आसी, भूरी के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 2 ता 18 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 19 पेशकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 70/70 की कुल 14.9710 हैक भूमि मृतक भूरी निको, आसी पुत्रीया हीराराम, गुडडी पत्नी खेताराम, सुमित्रा विमला सिला पुत्री खेताराम भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज हीराराम के नाम से दर्ज थी हीराराम के पुत्र खेताराम पुत्र हीराराम के देहान्त होने पर वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 एवं निको, आसी, भूरी के नाम से दर्ज हुई जो वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी की भूआ निको, आसी भूरी का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 6 ता 18 है जो निको आसी भूरी के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 वादी की बुआ एवं माता है प्रतिवादी संख्या 6 ता 18 वादी की दादी निको, आसी, भूरी के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 2 ता 18 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646

प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निरतारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 70/70 की कुल 14.9710हैक् भूमि मृतक भूरी निको, आसी पुत्रीया हीराराम , गुडडी पत्नी खेताराम, सुमित्रा विमला सिला पुत्री खेताराम भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज हीराराम के नाम से दर्ज थी हीराराम के पुत्र खेताराम पुत्र हीराराम के देहान्त होने पर वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 एवं निको, आसी , भूरी के नाम से दर्ज हुई जो वर्तमान में राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है तथा वादी का कथन है कि वादी की भूआ निको , आसी भूरी का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 6 ता 18 है जो निको आसी भूरी के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है ।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 वादी की बुआ एवं माता है प्रतिवादी संख्या 6 ता 18 वादी की दादी निको , आसी , भूरी के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 2 ता 18 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 18 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हकों का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से दर्ज किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है ।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 18 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 70/70 के खसरा न0 88 की कुल 14.9710हैक् जमाबन्दी में दर्ज मृतक भूरी , निको , आसी पुत्रीयान हीराराम एवं गुडडी पत्नी खेताराम , सुमित्रा विमला , सिला पुत्रीया खेताराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीया संख्या 1 अकेली 1/12 हिस्सा, वादी संख्या 2 अकेला 1/12 हिस्सा, वादी संख्या 3 अकेला 1/12 हिस्स व प्रतिवादी संख्या 1 का जमाबन्दी में दर्ज 1/40 के स्थान पर 1/4 हिस्सा का खातेदार काशतकार धोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तारतीय तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07/02/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व )  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर (हनुमानगढ़ )

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ला दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. रजनी 2. राजेश 3. विकास पि0 कृष्ण जाति धानक नाबालिग जरिये कुदरती बली माता पूजा उर्फ गीतारानी पत्नी कृष्ण जाति धानक निवासी गिराजसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

#### बनाम

1. कृष्ण पुत्र खेताराम जाति धानक निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
2. गुडडी पत्नी खेताराम जाति धानक निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
3. सुमित्रा पुत्री खेताराम जाति धानक निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
4. विमला पुत्री खेताराम जाति धानक निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
5. शिला पुत्री खेताराम जाति धानक निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
6. इन्द्राज पुत्री आसी जाति धानक निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
7. रामकुमार पुत्र आसी पुत्री हीराराम जाति धानक निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
8. मोहरा पुत्री आसी पुत्री हीराराम जाति धानक निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
9. बिदामी पुत्री आसी पुत्री हीराराम जाति धानक निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
10. मोहरसिह पुत्र भूरीदेवी पुत्री हीराराम जाति धानक निवासी गिराजसर।
11. भूप पुत्र भूरीदेवी पुत्री हीराराम जाति धानक निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
12. मेवा पत्नी बुधराम पुत्र भूरी पुत्री हीराराम जाति धानक निवासी गिराजसर।
13. सतपाल पुत्र बुधराम पुत्र भूरी पुत्री हीराराम जाति धानक निवासी गिराजसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
14. जयवीर पुत्र बुधराम पुत्र भूरी पुत्री हीराराम जाति धानक निवासी गिराजसर।
15. बृजलाल पुत्र निकोदेवी पुत्री हीराराम जाति धानक निवासी गिराजसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
16. मंगतु पुत्र निको देवी पुत्री हीराराम जाति धानक निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
17. पप्पू पुत्र निको देवी पुत्री हीराराम जाति धानक निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
18. सबरती पुत्री निकोदेवी पुत्री हीराराम जाति धानक निवासी गिराजसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1139 सन 2021 निर्णय दिनांक-07/02/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सवुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा गिराजसर के खाता संख्या 70/70 के खसरा न0 88 की कुल 14.9710 हैक् जमाबन्दी में दर्ज मृतक भूरी , निको , आसी पुत्रीयान हीराराम एवं गुडडी पत्नी खेताराम , सुमित्रा विमला , सिला पुत्रीया खेताराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीया संख्या 1 अकेली 1/12 हिस्सा, वादी संख्या 2 अकेला 1/12 हिस्सा, वादी संख्या 3 अकेला 1/12 हिस्स व प्रतिवादी संख्या 1 का जमाबन्दी में दर्ज 1/40 के स्थान पर 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )